न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज.)

पीठासीन अधिकारी : गिरीश कुमार शर्मा

मूल दीवानी प्रकरण सं0 : 43/20107 (CIS No. 42/2017)

अमृतपुरी वगैरा **बनाम** बहादुरसिंह वगैरा

उपस्थित :–

1. श्री वी0एस0 कर्णावट, विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुनील बोहरा एवं श्री अक्षय पालीवाल विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद निरस्तीकरण इन्द्राज अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट तथा घोषणा व निषेधाज्ञा

आदेश

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 व्य0प्र0सं0)

दिनांक : 06.02.2021

1. वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम फरारा में कुन्तेश्वर महादेव के वंशानुगत पूजारी होने के कारण एवं आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.92 जिसकी पालना में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा प्रविष्टि किये जाने के आदेश दिनांक 12.10.17 से की गई प्रविष्टि को निरस्त कराने एवं मूल रूप से पारित निर्णय दिनांक 06.07.91 जो कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा जारी किया गया था के अनुसरण में ''मेवाड़ कुन्तेश्वर फरारा महादेव ट्रस्ट'' के नाम से पंजियन करने एवं प्रतिवादीगण द्व ारा इस प्रन्यास की राशि का कोई अन्तरण नहीं करने के बारे में वाद दिनांक 17.11.2017 को पेश किया गया । जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित

धारा 151 व्य0प्र0सं0 प्रार्थिया श्रीमती कुसुम पुत्री श्री मोहनसिंह राजपूत निवासी फरारा तहसील एवं जिला राजसमंद की ओर से इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण ने कुन्तेश्वर महादेव मंदिर को सार्वजनिक ट्रस्ट घ ोषित किये जाने के व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण को वंशानुगत पूजारी व सेवायत बताकर प्रतिवादी सं0 1 से 6 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया बहादुरसिंह की वंशज है तथा उक्त मंदिर के सम्बंध में ट्रस्ट बनाने में इच्छूक रही है । प्रार्थिया ने उक्त ट्रस्ट की कार्यवाही में पक्षकार बनाने हेतु एक अवेदन 12.04.2001 को प्रस्तुत को देस्थान विभाग में प्रस्तुत किया जो बिना कोई कारण के निरस्त कर दिया गया । प्रार्थिया वर्किंग ट्रस्टी की सभी अर्हता रखती है। प्रार्थिया स्व0 बदनसिंह के ज्येष्ठ पुत्र मोहनसिंह की पुत्री है। बहादुरसिंह प्रतिवादी सं0 1 को यह भलीभांति जानकारी थी कि प्रार्थिया स्व0 बदनसिंह के ज्येष्ठ पुत्र मोहनसिंह की पुत्री है, इस तथ्य को छिपाकर ट्रस्ट गठन की कार्यवाही की है। प्रतिवादी सं0 1 ने वर्किंग ट्रस्टी होना बताकर, ट्रस्ट का गठन करवा कर, प्रार्थिया को अपने अधिकारों से वंचित रखकर, स्वयं को कार्यवाहक न्यासी बताकर फर्जी हस्ताक्षर से बैठक की कार्यवाही की एवं अपनी पत्नी उछबकुंवर को भी न्यासी बना दिया। अतः प्रार्थिया को इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने से, पक्षकार बनाया जाये।

2. इस आवेदन पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

3. प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह दलील पेश की है कि प्रतिवादी सं0 1 बहादुरसिंह के पुत्र मोहनसिंह की पुत्री है। जो हेरिडिटि ट्रस्टी है तथा उसका इस ट्रस्ट में हित है,अतः प्रार्थिया को पक्षकार बनाया जाये।

4. इसके प्रतिकार में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस की है कि प्रतिवादीगण का यह वाद सेवायत घोषणा को लेकर तथा आयुक्त ने जो ट्रस्ट बनाया है उसके लिए है, इसलिए वह आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थिया की शादी हो चुकी है अतः वह अनुवांषिक ट्रस्टी नहीं हो सकती है।

5. मैंने पेश किये गये तर्कों पर मनन किया । पत्रावली का परिशीलन किया ।

6. हस्तगत मामले में सेवायत की घोषणा का प्रश्न अन्तर्वलित है तथा मुख्य रूप से आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.92 के सम्बंध में जो सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर द्वारा न्यासियों के सम्बंध में जो दिनांक 12.10.2017 को प्रविष्टि की है, उसे निरस्त करने का है जिसमें प्रार्थिया न्यासी की तौर पर अंकित नहीं है।

7. चूंकि आदेश दिनांक 12.10.2017 एवं 15.12.92 का परिशीलन करें तो उसमें बदनसिंह के उत्तराधिकारियों में बहादुरसिंह बतौर प्रतिवादी अभिलेख पर मौजूद है तथा कुल मिलाकर ट्रस्टीज का जो इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया गया उसमें प्रार्थिया बतौर ट्रस्टी नहीं है। अतः मुख्यतः ट्रस्टीज के इन्द्राज को चेलेंज किया गया है इसलिए प्रार्थिया को जरूरी या उचित पक्षकार हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। वादीगण की ओर से भी प्रार्थीया को पक्षकार बतौर प्रतिवादी नहीं बनाया गया है तथा वादपत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित ट्रस्टीज में भी प्रार्थीया के पिता या माता या प्रार्थीया कभी ट्रस्टी के रूप में न होना आया है । अधिक से अधिक प्रार्थिया इस वाद में साक्ष्य में पेश होकर, साक्ष्य दे सकती है। इस मामले में ऋजु निस्तारण हो ऐसा अभिलेख से प्रकट नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मंजुर किये जाने योग्य नहीं है।

8. अतः प्रार्थिया श्रीमती कुसुम पुत्री श्री मोहनसिंह राजपूत निवासी फरारा तहसील एवं जिला राजसमंद की ओर से दिनांक 25.03.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 व्य0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

(गिरीश कुमार शर्मा)

9. आदेश आज दिनांक 06.02.2021 को लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित सरे इजलास सुनाया गया।

(गिरीश कुमार शर्मा)